म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्र0/बोर्ड/विधि/विविध/अधि.शुल्क /पार्ट 2/29/23-24/ 1171 भोपाल, दिनांक 12-05-2023

--परिपत्र–

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की 140 वीं बैठक दिनांक 20.03.2023 के प्रस्ताव क्रमांक 09 पर लिए गए निर्णय अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, खंडपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल द्वारा / के विरूद्ध प्रस्तुत वादों, अपीलो तथा अन्य न्यायिक कार्यवाहियों में प्रभावी रूप से वाद प्रस्तुत करने, वादोत्तर तैयार करने, पक्ष समर्थन करने तथा अपील आदि प्रस्तुत करने हेतु अग्रलिखित व्यवस्था स्थापित की जाती है :-

A. <u>अधिवक्ता शुल्क:-</u>

क्रं	माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर /खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर	माननीय जिला न्यायालय	माननीय श्रम न्यायालय	माननीय औद्योगिक न्यायालय	प्रकरणों में केविएट दायर हेतु
1.	अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड हेतु 25,000/-	15,000/- प्रति प्रकरण	5,000/- प्रति प्रकरण	5,000/- प्रति प्रकरण	5,000/- प्रति प्रकरण	2,000/- प्रति प्रकरण

B. <u>न्यायालयीन प्रकरणों हेतु दिशा निर्देश:-</u>

1. ऐसे प्रकरण जिनमे मंडी बोर्ड एवं मंडी समिति दोनों सामान श्रेणी के पक्षकार हों, में अधिवक्ता शुल्क का भुगतान मंडी बोर्ड अथवा मंडी समिति में से एक ही पक्ष द्वारा किया जावेगा।

2. मंडी बोर्ड में अधिवक्ता पैनल नामित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके आदेश पृथक से प्रसारित किये जायेंगे।

3. सामान्यतः पैनल नामित होने तक माननीय न्यायालय के विधिक प्रकरणों में शासकीय अधिवक्ताओं को ही नियुक्त किया जावेगा।

4. विशेष नीतिगत, विधिक परामर्श एवं जटिल वैधानिक प्रकरणों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किये जाने अथवा अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता परिलक्षित होने पर प्रबंध संचालक, निर्णय तथा अधिवक्ता शुल्क निर्धारण हेतु, सक्षम रहेंगे । जिसके लिए OIC द्वारा अपनी स्पष्ट अनुसंशा एवं आवश्यकता का उल्लेख कर विधिवत प्रस्ताव मुख्यालय

प्रेषित किया जाकर अनुमति प्राप्त की जावेगी।

5. सभी न्यायालयों में वाद/याचिका/अपील/रिवीजन तैयार कराने/जवाब तैयार कराने तथा शपथ पत्र सहित न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण के प्रभारी अधिकारी के सत्यापन पश्चात् निर्धारित अधिवक्ता शुल्क का 50% शुल्क तथा कार्यालयीन/ स्टेशनरी व्यय अधिवक्ता को अग्रिम के रूप में दिया जावेगा तथा शेष शुल्क प्रकरण के निराकरण होने पर प्रमाणित प्रतिलिपि अधिवक्ता के अभिमत सहित प्रभारी अधिकारी को अभिलेखों के सौंपे जाने के बाद देय होगी।

6. यदि जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् किन्हीं कारणों से अधिवक्ता को परिवर्तित किया जाता है तो वाद/अपील/याचिका/रिवीजन पुनरीक्षण तैयार करने पर की गई कार्यवाही पर निर्धारित शेड्यूल का 50% एवं कार्यालयीन व्यय की पूर्ण राशि देय होगी। शेष शुल्क दूसरे/परिवर्तित अधिवक्ता को प्राप्त करने की पात्रता होगी। पूर्व नियुक्त अधिवक्ता तदर्थ अपनी अनापत्ति/सहमति इस हेतु प्रदान करेंगे।

7. समान प्रकृति/ समान विषय वस्तु के एक से अधिक प्रकरण होने पर प्रथम प्रकरण में पूर्ण शुल्क तथा शेष अन्य प्रकरणों में कुल शुल्क का 1/2 भाग प्रति प्रकरण शुल्क देय होगा।

8. प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात यदि पक्षकार द्वारा प्रकरण वापस ले लिया जाता है और निराकरण गुण दोषो के आधार पर नहीं होता है तब ऐसे प्रकरणों में अधिवक्ता को केवल 50 प्रतिशत शुल्क ही देय होगा । प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत होने के पूर्व यदि पक्षकार द्वारा प्रकरण वापस ले लिया जाता है, तो अधिवक्ता शुल्क देय नहीं होगा।

9. बोर्ड द्वारा नामित OIC एवं सम्बंधित मंडी समिति के सचिव का दायित्व होगा कि प्रकरण पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश प्रसारित होने पर तत्काल अधिवक्ता से स्पष्ट अभिमत प्राप्त करें, यदि आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने की आवश्यकता है, तो उक्त संबंध में स्पष्ट आंकलन किया जाकर अनुशंषा सहित प्रस्ताव माननीय न्यायालय के आदेश प्रसारण दिनांक से अधिकतम 7 दिवस में अनिवार्यतः मुख्यालय को उपलब्ध करावें।

10. नीतिगत प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुतिकरण के पूर्व बोर्ड द्वारा नामित OIC एवं सम्बंधित मंडी सचिव द्वारा पूर्ण अभिलेखों का परीक्षण कर ही आपसी समन्वय से उत्तर प्रस्तुत किया जावे । विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता परिलक्षित होने पर मुख्यालय की सुसंगत शाखा से अभिमत भी प्राप्त किया जा सकता है । किन्तु यह स्पष्ट किया जाता है, कि बोर्ड द्वारा नामित OIC सक्षम प्राधिकारी होने से प्रकरणों पर नियमतः कार्यवाही एवं टीप अंकन करना उनका दायित्व है । ऐसी स्थिति में केवल मुख्यालय से अभिमत /मार्गदर्शन प्राप्त करने के नाम पर प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाये।

11. समस्त प्रभारी अधिकारी, अधिवक्ता से संपर्क रखते हुए उन्हें विनिर्दिष्ट न्यायालयीन प्रकरणों का नियमित रूप से अनुसरण करें और प्रकरण की प्रगति के बारे में सचेत रहें। प्रभारी अधिकारी, न्यायालयीन प्रकरणों के सन्दर्भ में किन्ही निर्देशों के संबंध में सक्षम विभागीय प्राधिकारी से आवश्यक संवाद करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

12. समस्त प्रभारी अधिकारी प्रत्येक प्रकरण की एक पृथक फाईल संधारित करेंगे जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष हुई समस्त सुनवाईयों से संबंधित आदेश एवं सुसंगत विभागीय जानकारी की प्रतियां संधारित की जाये ।

13. प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति एवं लापरवाही के कारण प्रकरण में बोर्ड के विरूद्ध आदेश पारित होता है तो संपूर्ण अधिवक्ता फीस की राशि प्रभारी अधिकारी से वसूल की जावेगी ।

14. प्रभारी अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि न्यायालय में उचित रूप से प्रतिवाद प्रस्तुत करे तथा वह मुकदमे के पूरी तरह समाप्त होने तक उसे समनुदेशित प्रत्येक प्रकरण की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होकर अपास्त किये जाने तक प्रभावशील होगा ।

(गौतम सिंह)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल

क्र0/बोर्ड/विधि/विविध/अधि.शुल्क /पार्ट 2/29/23-24/ 1172 भोपाल, दिनांक 12-05-2023

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबन्ध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर संचालक (समस्त)/संयुक्त संचालक/ अधीक्षण यंत्री /उपसंचालक (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है, कि OIC को प्रेषित किये प्रकरणों से सम्बंधित पत्रों एवं अभिलेखों आदि की एक प्रति विधि शाखा को भी संलग्नक सहित उपलब्ध करावें।
4. संयुक्त संचालक/उपसंचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय -भोपाल / इन्दौर/ उज्जैन/ ग्वालियर / जबलपुर/सागर/रीवा की ओर पालनार्थ ।
5. कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, की ओर पालनार्थ ।
6. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति.....जिला (समस्त) की ओर पालनार्थ ।
7. गार्ड फाइल ।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल